

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बानो (सिमडेगा)

आदेश फलक

विविध वाद सं०

04 / 2025-26

विनोद नाग पिता-स्व० नाभो नाग, साकिन-केवंगुट, पो०-हुरदा, थाना-बानो, जिला सिमडेगा ।

बानाम

विश्वनाथ नाग एवं अन्य पिता-स्व० ठेंगो सिंह, साकिन-केवंगुट, पो०-हुरदा थाना-बानो, जिला सिमडेगा ।

क्र० सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित												
01.8.25	यह वाद आवेदक विनोद नाग, पिता स्व० नाभो नाग, ग्राम केवंगुट के द्वारा द्वितीय पक्ष पर निम्नांकित भूमि के बावत आरोप लगाया गया है कि भूवन पाईक एवं नाभों पाईक के नाम पर बन्दोबस्त भूमि जो सन् 1959-60 ई० में हो चुका है उसे वर्तमान में गणेश्वर नाग (मास्टर) पिता ठेगों नाग के नाम पर पंजी ॥ में गलत तरीके से दर्ज कर लिया गया है। <u>भूमि की तफसील</u> <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>अभ्युक्ति</th></tr><tr><td>केवंगुट</td><td></td><td>126</td><td>970</td><td>0.29 ए०</td><td></td></tr></table> उपांकित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है जिसके बावत संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें उभय पक्ष में वादगत भूमि को लेकर विवाद है । प्रथम पक्ष केवाला दलील सं० 179/165 दिनांक 14.04.1959 के आधार पर दावा करते हैं तो द्वितीय पक्ष दिनांक 18.06.1960 को From M से भूमि को प्राप्त होने के आधार पर दावा करते हैं साथ ही जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उभय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दावा/प्रतिदावा करते हैं। अतएव उभय पक्ष को नोटिश निर्गत कर राजस्व कागजातों की मांग करते हुए सुनवाई के उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सकता है ।	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	अभ्युक्ति	केवंगुट		126	970	0.29 ए०		
मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	अभ्युक्ति									
केवंगुट		126	970	0.29 ए०										

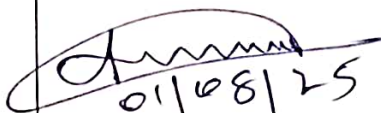
उभय पक्ष को नोटिश निर्गत किया गया । नोटिश तामिला किया गया उभय पक्ष द्वारा भूमि पर दावा/स्वामित्व से संबंधित प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष को सुना ।

प्रथम पक्ष के विनोद नाग पिता स्व० नाभों नाग का कथन है कि यह भूमि हमलोग के From M के द्वारा दिनांक 18.06.1960 को प्राप्त है । From M की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है ।

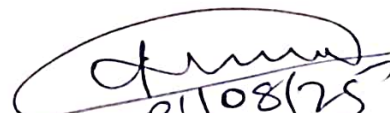
जबकि द्वितीय पक्ष के विश्वनाथ नाग एवं अन्य पिता स्व० ठोंगो सिंह का कथन है कि वादगत भूमि को केवाला दलील सं० 179/165 दिनांक 14.04.1959 के द्वारा श्री ठोंगो सिंह, पिता श्री मंगरा सिंह जो द्वितीय पक्ष के पिता हैं द्वारा भूमि को क़य किया गया है संबंधित केवाला दलील की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। द्वितीय पक्ष का लगान रसीद निर्गत है जबकि प्रथम पक्ष का कथन है कि प्रथम पक्ष के जमाबंदी को विलोपित कर मेरा नाम से जमाबंदी कायम किया जाय। उभय पक्ष में भू-विवाद है। प्रथम पक्ष From M के आधार पर दावा करते हैं, तो द्वितीय पक्ष केवाला पट्टा के आधार पर दावा करते हैं जो स्वत्व का मामला है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उभय पक्ष में वादगत भूमि के बावत स्वत्व को लेकर विवाद है जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से ही संभव है ।

इसी निष्कर्ष के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है । उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वातंत्र्य है ।



अंचल अधिकारी,
बानो।



अंचल अधिकारी,
बानो।